कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जबलपुर (म.प्र.)
eepwdnhjabalpur@gmail.com Ph.no. 0761-2620990

क्रमांक / 959 दिनांक 11/6/2019
प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
दक्षिण (सामान्य) वनमण्डल
बालाघाट (म.प्र.)

विषयः – सैद्धांतिक रूप से घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सिवनी–बरघाट–बालाघाट कि.मी. 000 से 89+340 के चौड़ीकरण मय पेव्हड शोल्डर कार्य हेतु बालाघाट जिले अंतर्गत वन विभाग की वनभूमि में पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण की अनुमति उपरांत संशोधित वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव रकबा 13.5835 हेक्टेयर वनभूमि वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने बाबत्।

संदर्भः – 1. ऑनलाईन प्रपोजल क्रमांक – FP/MP/ROAD/34758/2018
2. आपका पत्र पृष्ठां. क्रमांक/मा.चि./414 दिनांक 11.01.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है, कि सैद्धांतिक रूप से घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग सिवनी–बरघाट–बालाघाट कि.मी. 000 से 89+340 कि.मी. तक में बालाघाट जिले के अंतर्गत के चौड़ीकरण में मार्ग पूर्वेक्षण/सर्वेक्षण का कार्य लामटा परियोजना मण्डल के लामटा/लालबर्रा के अधिकारी/अधीनस्थ स्टाफ एवं दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट के वारासिवनी वन परिक्षेत्र के अधिकारी/अधीनस्थ स्टाफ तथा आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जबलपुर के प्रतिनिधि के साथ वन कक्षों से होकर गुजरने वाले मार्ग का संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण कर मौके पर प्रभावित वन भूमि एवं वृक्षों की गणना की गई। गणना अनुसार आवश्यक प्रभावित वनभूमि का क्षेत्रफल 13.5835 हेक्टेयर है तथा मार्ग में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या 3498 एवं बांस भिर्रों की संख्या 64 है। जिसका कक्षवार विवरण संलग्न प्रपत्र में दर्शित है साथ ही सैद्धांतिक रूप से घोषित नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग सिवनी–बरघाट–बालाघाट (कि.मी. 000 से 89+340 कि.मी.) मे बालाघाट जिले के अंतर्गत मार्ग चौड़ीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत ऑनलाईन प्रपोजल क्रमांक – FP/MP/ROAD/34758/2018 में आवश्यक सुधार कर संशोधित ऑनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रपोजल में उपरोक्त प्रस्ताव की 04 प्रतियां संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

चूंकि पूर्व में खण्डवा जिले में आशापुर से हरदा व खण्डवा से मूंदी मार्ग तथा अशोकनगर जिले में कुरवाई–मुंगावली–चंदेरी मार्ग के प्रस्ताव में 'Black Top' का क्षेत्रफल शामिल किया गया था, उस पर भारत सरकार के वन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा प्रस्ताव में 'Black Top' शामिल न करने के निर्देश दिये है (जिनकी प्रतियाँ संलग्न है) अतः प्रस्ताव में 'Black Top' का क्षेत्रफल शामिल न करते हुए पुनः प्रस्ताव उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन यंत्री
लो.नि.वि.रा.रा.संभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 853 / 2019 / 10–11 / 1504 भोपाल, दिनांक 14/5/19

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,
इन्दौर, मध्यप्रदेश।

विषयः– खण्डवा जिले में आशापुर से हरदा मार्ग के चौड़ीकरण / निर्माण हेतु 3.588 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPB 007/2019-BHO/243 दिनांक 29.04.2019

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व 03 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः लेख है कि भारत सरकार द्वारा चाही गई वांछित जानकारी वेबपोर्टल पर अपलोड कर हार्डकॉपी में इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 853 / 2019 / 10–11 / 1505 भोपाल, दिनांक 14/5/19

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र,
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिन्क रोड नं0–3, Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0) Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक/Email: rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक 6-MPB007/2019-BHO/ 243

Date : 29/04/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल, (मध्य प्रदेश)।

विषयः खण्डवा जिले में आशापुर से हरदा मार्ग के चौड़ीकरण / निर्माण हेतु 3.588 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ : 1. आपका पत्र कमांक F-5/853/2019/10-11/528 दिनांक 14/02/2019।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्न जानकारियां / दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध करायें:

1. इस प्रस्ताव से सबधिंत के.एम.एल. फाईल(चौड़ीकरण / निर्माण हेतु) प्रेषित करें जिसमें मौजुदा black top road शामिल ना हो।
2. वैकल्पिक वृक्षारोपण के लिए राज्य शासन के covering letter में परिक्षेत्र सिंगाजी बताया गया है जबकि वैकल्पिक वृक्षारोपण स्कीम में परिक्षेत्र का नाम खण्डवा दिया गया है, इस संबंध में स्पष्टीकरण दें।
3. वन संरक्षण अधिनियम की हैंडबुक 2019 के बिंदु कमांक 2.8 (iii)(e) के अनुसार 10 वर्षों की वैकल्पिक वृक्षारोपण स्कीम प्रेषित करें।

अग्रेतर कार्यवाही उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के बाद की जायेगी।

29/4/19

(बी अभय भास्कर)
सहायक वन महानिरीक्षक (के.)

विविध
13/5

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 854 / 2019 / 10–11 / 1498 भोपाल, दिनांक 14-5-19

प्रति,

कार्यपालन यंत्री,
लोक निर्माण विभाग,
राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग,
इन्दौर, म0प्र0।

विषयः– खण्डवा जिले में खण्डवा से मुंदी (सैद्धांतिक रूप से घोषित नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग) मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 6-MPB 06/2019-BHO/244 दिनांक 29.04.2019

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। जिसके द्वारा भारत सरकार भोपाल ने विषयांकित प्रकरण की स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः लेख है कि भारत सरकार द्वारा चाही गई वांछित जानकारी वेबपोर्टल पर अपलोड कर हार्डकॉपी में इस कार्यालय को भिजवाये, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

13/5

(सुनील अग्रवाल)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 854 / 2019 / 10–11 / 1499 भोपाल, दिनांक 14-5-19

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, खण्डवा वृत्त खण्डवा, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल खण्डवा, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

13/5

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST
& CLIMATE CHANGE

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
Regional Office, Western Region,
"केन्द्रीय पर्यावरण भवन"
"Kendriya Paryavaran Bhavan"
लिन्क रोड नं0–3,Link Road No. 3
E-5, रविशंकर नगर/Ravi Shankar Nagar,
भोपाल (म0प्र0)Bhopal-462016 (M.P.)
फोन– 2466525, 2463102, 2465496
अणुडाक/Email:rowz.bpl-mef@nic.in

क्रमांक **6-MPB06/2019-BHO/** 244 **Date :** 29/04/2019

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
सतपुड़ा भवन, भोपाल, (मध्य प्रदेश)।

विषयः खण्डवा जिले में खण्डवा से मुंदी (सैद्धांतिक रूप से घोषित नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग) मार्ग के निर्माण हेतु 0.378 हेक्टेयर वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, इन्दौर को उपयोग पर देने बाबत्।.

संदर्भ : 1. आपका पत्र क्रमांक F-5/854/2019/10-11/530 दिनांक 14/02/2019।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निम्न जानकारियां/दस्तावेज इस कार्यालय में उपलब्ध करायें:

1. इस प्रस्ताव से सबधिंत के.एम.एल. फाईल(चौड़ीकरण/निर्माण हेतु) प्रेषित करें जिसमें मौजुदा black top road शामिल ना हो।
2. वन संरक्षण अधिनियम की हैंडबुक 2019 के बिंदु क्रमांक 2.6 (i)(b) के अनुसार प्रभावित वृक्षों की संख्या के 10 गुणा संख्या में वृक्षों का रोपण किये जाने एवं 10 वर्षों तक इनके maintenance किये जाने का प्रावधान भी है।

अग्रेतर कार्यवाही उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के बाद की जायेगी।

29/4/19
(बी अ[illegible] भास्कर)
सहायक वन महानिरीक्षक (के.)

[illegible]
[illegible]

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 849 / 2019 / 10–11 / 717 भोपाल, दिनांक 07/03/19

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– **अशोकनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 346 कुरवाई–मुंगावली–चन्देरी के चौड़ीकरण / निर्माण हेतु 4.340 हेक्टेयर (पूर्व में प्रस्तावित 5.647 हेक्टेयर) वन भूमि लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, ग्वालियर को उपयोग पर देने बाबत्।**

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-REC 10/2014-BHO/Part I/201 दिनांक 01.03.2019

----0----

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण की REC की बैठक दिनांक 01.03.2019 में लिए गए निर्णय के पालन मे लेख है कि प्रकरण में सड़क के black top का भाग हटाते हुए नवीन KML file वेबपोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। संशोधित KML file के अनुसार अब इसमें 5.647 के स्थान पर 4.34 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। संशोधित क्षेत्रफल की स्थिति निम्नानुसार है:–

अ.क्र.	पूर्व प्रस्तावित वनक्षेत्र (हे0 में)	black top road का क्षेत्र हटाने के बाद संशोधित वनक्षेत्र (हे0 में)
1	0.208	0.8
2	0.090	0.2
3	1.113	3.2
4	4.236	0.1
	5.647	**4.3**

प्रकरण में वैकल्पिक वृक्षारोपण पूर्व प्रस्तावित वनक्षेत्र के अनुसार ही कराया जा रहा है। कृपया प्रकरण में 5.647 हेक्टेयर के स्थान पर 4.34 हेक्टेयर प्रत्यावर्तित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

7/3/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / एफ–5 / 849 / 2019 / 10–11 / 718 भोपाल, दिनांक 07/03/19

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक, शिवपुरी वृत्त शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी सामान्य वन मण्डल अशोकनगर, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, ग्वालियर, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7/3/19

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल